दिनांक 17 अप्रैल 2022 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण कर निगम की टीम ने जब्त की प्रतिबंधित प्लास्टिक

भिलाई। नगर पालिक निगम के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने लगातार अभियान चल रहा है। इस दिशा में एक सप्ताह से कार्यवाही की जा रही है। प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ निगम का अभियान लगातार एक सप्ताह से जारी है। इस पर प्रतिबंध लगाने निगम के अधिकारी ग्राहक बनकर साप्ताहिक व बाजारों में पहुंचकर दुकानों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जब्ती बनाकर उनसे अर्थदंड वसूल कर रहे है। निरीक्षण के दौरान पॉलीथिन , डिस्पोजल व कैरी बैग मिलने पर जब्ती बनाई जा रहीं है। निगम की टीम ने 14 दुकानदारों पर कार्यवाही कर 12 हजार एक सौ रूपए वसूला। सेक्टर 7 माकेट के दुकानदार सोनू , बाबू, सुभाष सिंह, सूरज, जिना सोनकर, सीपत, अनिल, कौशल, स्वामी नाथ से, आकाशगंगा मार्केट से सुरेश कुमार व नदू साहू से और केम्प दो लिंक रोड के व्यवसायिक प्रतिष्ठान रूकमणि एजेंसी से अर्थदंड वसूला गया। निगमायुक्त प्रकाश सर्वे ने व्यापरियों से अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करें, क्योंकि प्रतिबंधित प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। यह ऐसा पदार्थ है जो नष्ट नहीं होता और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है।